JALAUN POLICE

दिनांक –29.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में 02 अभियुक्तगणों को अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्तगण 1. ध्यान चन्द्र उर्फ ध्यानू पुत्र राजेन्द्र सिंह पांचाल 2. मंटोले उर्फ अभिजीत पुत्र सन्तराम नाई नि0गण मडौरा कोतवाली उरई जनपद जालौन 3. बृजमोहन उर्फ कल्लू पुत्र पन्नालाल धोबी नि0ग्राम गढ़र कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना कारित करने पर वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कोंच पर मु0अ0सं0 931/15 (वाद संख्या 63/15) धारा 394/411 भादवि के तहत पंजीकृत हुआ था एवं आरोपीगण ध्यानचन्द्र, मंटोले व बृजमोहन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 29.11.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त बृजमोहन उपरोक्त को दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं उपरोक्त अभियुक्तगण ध्यानचन्द्रउर्फ ध्यानू व मण्टोले उर्फ अभिजीत को 394/411 भादवि में दोषमुक्त किया गया है।

प्रकरण द्वितीय – थाना कुठौन में मु0अ0सं0 295/1996 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम गवर्नर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह नि0 ग्राम जुगराजपुर थाना कुठौन्द हाल निवास पडौली कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त गवर्नर उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।